**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **22/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

देवनारायण मीणा पताः जी–4, जय श्रीराम अर्पाटमेंट, सेक्टर–14, हिरण मगरी, उदयपुर

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

**.....प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

# निर्णय

**दिनांकः** 15/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील क्रमांक 329310061865093 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्रांक 8330790702 दिनांक 13.01.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/22/26/82–83 दिनांक 13.01.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 07.09.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आवेदन पत्र अनुसार बिन्दु संख्या 1 में वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक ग्राम झुसावाडा की हाल जमाबंदी की खसरा संख्या 396 रकबा 0.1100 व 397 रकबा 0.1600 खाता संख्या पुराना 42 व नया खाता संख्या 53 की भूमि का विरासत/विक्रय/दान पत्र द्वारा किये गये सभी प्रकार के हस्तांरण से पूर्व ग्राम सभा से प्राप्त अनुमोदन पत्रों की एवं जमाबंदी की पूर्ण विवरण सहित प्रतिलिति चाही गई है। बिन्दु संख्या 2 में जनवरी 2020 से अगसत 2025 तक पटवार हल्का बड़ला एवं पटवार हल्का बंजारिया में स्थित भूमियों को राज्य सरकार/निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा प्लॉटिंग योजना बनाकर बनाई गई प्लॉटों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र या स्वीकृति पत्र सहित दस्तावेज की प्रतिलिपि। बिन्दु संख्या 3 में राजस्थान कृषि जोत का अधिकतम अधिनियम 1973 के अंतर्गत जिन अधिकारियों को अधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, की राजपत्र अधिसूचना/परिपत्र/आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई है। बिन्दु संख्या 4 में विगत वर्ष 1995 से 2025 तक इससे सबंधित कोई संशोधन/नई अधिसूचना

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22238809
M e-Sign

जारी हुई हो तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान कृषि जोत की अधिकतम अधिनियम 1973 के तहत न्यूनतम व अधिकतम भूमि आवंटन की सीमा का विवरण। बिन्दु संख्या 5 में राज्य में राजस्थान कृषि जोत का अधिकतम अधिनियम 1973 को लागू करने के लिए राजभवन/राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना की प्रमाणित प्रति। बिन्दु संख्या 6 में विगत वर्ष 1995 से 2025 अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान कृषि जोत की अधिकतम अधिनियम 1973 के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय के खातेदारों की खातेदारी भूमि को निरस्त का बिलानाम दर्ज किये गये खातेदार व्यक्तियों की सूची चाही गई है। यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा इस कार्यालय के पत्रों के क्रम में पृथक से कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 1002 दिनांक 05.12.2025 के माध्यम से बिन्दुवार उत्तर प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 की आंशिक सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं खसरा नंबर 396 व 397 के जमाबन्दी की प्रति 'अपना खाता पोर्टल' पर ऑनलाईन निशुल्क उपलब्ध है। बिन्दु संख्या 2 में आवेदक द्वारा किस भूमि पर बनाये गये प्लॉटों के संबधं में जानकारी चाही गई है उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बिन्दु संख्या 3 में राजस्थान कृषि जोत अधिकतम अधिनियम 1973 से संबंधति में चाही गई सूचना राजस्थान सरकार की वेबसाईट से डाउनलोड की जावे व भूमि आवंटन से संबंधित कार्य जिलाधीश अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसके संबंध में जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिन्दु संख्या 4 में के संबंध में सूचना राजस्थान सरकार की वेबसाईट से डाउनलोड की जावे। बिन्दु संख्या 5 में के संबंध में सूचना राजस्थान सरकार की वेबसाईट से डाउनलोड की जावे। बिन्दु संख्या 6 से संबंधित आंशिक सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं शेष सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व केवल वही सूचना उपलब्ध कराना है जो अभिलेखों में विद्यमान हो तथा जिसे युक्तियुक्त रूप से चिन्हित किया जा सके। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक, अनिश्चित अथवा दीर्घ अवधि से संबंधित अभिलेखों का विस्तृत संकलन करे, विशेषकर तब जबकि अभिलेख अत्यंत पुराने हों एवं सूचना किसी संकलित रूप में उपलब्ध न हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार उत्तर प्रदान कर उपलब्ध अभिलेखीय स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। जिन बिन्दुओं की सूचना प्रत्यर्थी कार्यालय के में उपलब्ध नहीं है अथवा जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके संबंध में भी अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त उत्तर में किसी विधिक त्रुटि का परिलक्षण नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम अपील में निर्धारित समय में अपीलोत्तर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.15 12:10:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22238809
M e-Sign